ISSN 0973-8541, HUMANITIES AND DEVELOPMENT, VOL.21, No.3, July to Sept., 2026/231

Website :https://humanitiesdevelopment.com Impact factor 7.375 IIFS

''दलित महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक उन्नयन में शिक्षा की भूमिका''

सुनीता

https://doi.org/10.61410/had.v21i3.344

शोध–सार

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जो प्रस्थिति समाज के चौथे वर्णक्रम में स्थित अनुसूचित जातियों की थी, वहीं स्थिति इस देश की महिलाओं की भी रही है। स्वतंत्रता के पश्चात् परिवर्तित रूपरेखा में संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों ने प्राचीन परम्परा को तोड़कर जातिगत भेदभाव, लैगिंक समानता, गरीबी तथा शिक्षा के सीमित अवसरों में आये बदलाव ने दलित महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति में शिक्षा सामाजिक परिवर्तन एवं सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। साथ ही दलित महिलाओं में सामाजिक जागरूकता, आत्म–सम्मान, अधिकार–बोध, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि तथा आर्थिक आत्म–निर्भरता में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शिक्षा दलित महिलाओं को सामाजिक भेदभाव तथा रूढ़ियों के विरूद्ध अपनी आवाज उठाने में समक्ष बनाती है। शिक्षा के माध्यम से ही रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर में भी वृद्धि होती है। इससे महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। शिक्षित महिलाऐं परिवार में बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य, पोषण के साथ भविष्य निर्माण की प्रक्रिया में भी है। दलित महिलाओं की शिक्षा सामाजिक गतिशीलता एवं परिवर्तन का महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है।

शब्द संकेत – सामाजिक उन्नयन, असमानता, अधिकार चेतना, समानता, सहभागिता, भेदभाव, जागरूकता, न्याय, उन्मूलन, सामाजिक सुरक्षा।

प्रस्तावना –

इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि दलित समुदाय को सामाजिक भेदभाव, आर्थिक वंचना तथा शैक्षिक अवसरों की कमी का सामना उन्हें देश की स्वतंत्रता प्राप्ति तक करना पड़ा है। इन परिस्थितियों का प्रभाव दलित महिलाओं के जीवन पर भी पड़ा है। शिक्षा से वंचित रहने के कारण उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति भी कमजोर बनी रही। ऐसा माना जाता है कि शिक्षा की ग्राहयता व्यक्तिगत है, परन्तु उसके कारण विकसित गुण, शक्ति एवं समार्थ्य का प्रयोग समाजपरक है।

आधुनिक भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और समान अवसर का प्रमुख माध्यम माना गया है। शिक्षा व्यक्ति में ज्ञान, विवेक, आत्म विश्वास तथा अधिकार चेतना का विकास करती है। विशेष रूप से दलित महिलाओं के संदर्भ में शिक्षा केवल साक्षरता प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि यह सामाजिक सम्मान, आर्थिक आत्मनिर्भरता लैगिंक असमानता में कमी एवं राजनैतिक सहभागिता की दिशा में महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा की कमी के कारण महिलाओं को अपने कानूनी एवं संवैधानिक अधिकारों की जानकारी नहीं हो पाती है। वह सरकारी योजनाओं, रोजगार के अवसरों और संस्थागत सुविधाओं के सम्पूर्ण लाभ से भी वंचित रहती है। इसलिए दलित महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक उन्नयन हेतु शिक्षा को आधार भूत आवश्यकता माना जाना चाहिए।

- **जान्हवीपुरम, माधवपुर, नैनी, प्रयागराज,**

शिक्षा मात्र विद्यालय में प्राप्त औपचारिक ज्ञान तक सीमित नहीं है। यह व्यक्ति के बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक एवं व्यावसायिक विकास की निरन्तर प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्ति को अपने परिवेश एवं समस्याओं को समझने तथा उचित निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है। दलित महिलाओं के लिए शिक्षा का आशय मात्र अक्षर ज्ञान नहीं बल्कि सांविधानिक अधिकारों की प्राप्ति ही सामाजिक सशिक्तकरण को गति प्रदान करती है। शिक्षित महिला जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता एवं सामाजिक रूढ़ियों के प्रति तार्किक चेतना की समझ रखती है। वह अपने अधिकारों तथा सामाजिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली के प्रति जागरूक होती है।

शिक्षा महिलाओं कें आत्मविश्वास में वृद्धि करती है। शिक्षित महिला परिवार और समाज में अपनी बात अधिक प्रभावी तरीके से रखने में भी सक्षम होती है। इससे उसके आत्मसम्मान में भी वृद्धि होती है, दलित महिलाओं के लिए शिक्षा सामाजिक भेदभव के प्रति भी समक्ष विकसित करती है। शिक्षा उन्हें स्वतंत्रता, समानता एवं समता के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों से भी परिचित कराती है। इसके परिणाम स्वरूप वह भेदभावपूर्ण व्यवहार को सामान्य मानने के बजाय उसके विरोध में अपनी आवाज बुलन्द करने में भी सक्षम होंगी। शिक्षित महिलाओं की परिवार के महत्वपूर्ण निर्णय में भी भागीदारी बढ़ती है। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह आर्थिक उत्तरदायित्व इत्यादि में भी उनकी भूमिका में वृद्धि होती है। शिक्षा महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जागरूक बनाती है। पंचायती राज व्यवस्था एवं स्थानीय निकायों में महिलाओं को प्राप्त 33 प्रतिशत आरक्षण ने महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि की है। दलित महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से राजनीतिक भागीदारी से विकास की प्रक्रिया में भूमिका निवर्हन की स्वतंत्रता प्राप्त हो सकी है।

दलित महिलाओं के आर्थिक उन्नयन के द्वार कही न कही शिक्षा के माध्यम से ही खुली हुई है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के पश्चात् व्यवसायिक एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाऐं शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, बैंकिग, निजी क्षेत्र तथा अन्य सेवाओं में रोजगार का अवसर प्राप्त हो रहा है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में केवल सामान्य शिक्षा पर्याप्त नहीं है, महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण को उच्च स्तर पर पहुंचाने में भी शिक्षा की भूमिका हैं। आर्थिक आत्म निर्भरता, सामाजिक सम्मान की वृद्धि में दलित महिलाओं की पारिवारिक निर्णय में भागीदारी का सीधा आशय शिक्षा के साथ आर्थिक मजबूती माना जा सकता है। महिलाओं के शिक्षित होने से वित्तीय जानकारी आसान हो जाती है जिससे आर्थिक संसाधनों पर उनका नियंत्रण रहता है।

शिक्षा का प्रत्यक्ष प्रभाव महिलाओं तथा पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। शिक्षित महिला पोषण, स्वच्छता, मातृ स्वास्थ बच्चों की उचित देखभाल तथा परिवार नियोजन के प्रति अधिक जागरूक होती है। वैसे बाल–विवाह जैसी समस्या अब नहीं सुनाई पड़ती है लेकिन लड़कियों की शिक्षा के प्रति अभी और जागरूकता की आवश्यकता है। खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में। अतः उन्हें भविष्य निमार्ण, रोजगार व्यवसाय नौकरी एवं जीवन निवर्हन सम्बन्धी निर्णय लेने में शिक्षित होने के काण आसानी रहती है। दलित महिलाओं की शिक्षा का प्रभाव मात्र उन्हीं तक न सीमित होकर, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य मूल्यों एवं संस्कार के प्रति भी जागरूक बनाता है। इस प्रकार एक स्त्री अगर शिक्षित है तो वह परिवार एवं पीढ़ी के सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकती है।

भारतीय संविधान में सामाजिक समानता, न्याय के सिद्धान्तों को महत्व प्रदान किया है। शिक्षा के क्षेत्र में दलितों के लिए विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति, आरक्षण, मुफ्त शिक्षा, कोचिंग जैसी सहायता एवं कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सशक्त बनाने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। अनुच्छेद 15(4) एवं 15(5) सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से कमजोर वर्गों तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, शिक्षा के अधिकार सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से वंचित समूहों के बच्चों को शिक्षित करते हुए योजनाओं तक पहुंच स्थापित करने में योगदान रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 में भी समानता, समावेशन कौशल विकास तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रयास किया गया है। वास्तव में इन प्रावधानों का प्रयास तभी सार्थक होगा जब दलित समाज की महिलओं के समक्ष सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक भौगौलिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक बाधाओं से मुक्त किया जाय।

दलित समाज की शिक्षा के मार्ग में अभी भी बहुत सी चुनौतियाँ विद्यमान हैं जिसका समाधान अत्यन्त आवश्यक है। गरीबी आर्थिक कमजोरी, विद्यालयों में बालिकाओं की शिक्षा पर प्राथमिकता, सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति, भेदभाव की मानसिकता में परिवर्तन जैसी चुनौतियों का समाधान विद्यालयी स्तर पर किया जाना चाहिए। इसके लिए सामाजिक एवं मानसिक दृष्टिकोण में भी परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। इन चुनौतियों के बीच दलित समाज की महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक प्रस्थिति में सुधार के लिए वास्तव में शिक्षा की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इतिहास में जाकर देखेंतो समाज में निम्नवर्ग के लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं होने के कारण उनके जीवन में अंधेरा था, वह सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से सदियों तक कमजोर बने रहे। किन्तु जब से उन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ है उनके जीवन में शिक्षा रूपी प्रकाश ने जो परिवर्तन किया वह अतुलनीय है। शिक्षा की ताकत ने उन्हें समाज में बराबरी के स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है। महिलाओं में भी शिक्षा के माध्यम से सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है।

दलित वर्ग की महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक उन्नयन में शिक्षा की भूमिका अत्यन्त व्यापक और परिवर्तनकारी सिद्ध हुई है। शिक्षा उन्हें मात्र अक्षर ज्ञान नहीं देती है बल्कि सामाजिक चेतना आत्म सम्मान, अधिकार–बोध, आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ निर्णय की क्षमता भी प्रदान करती है। शिक्षित परिवार, समुदाय एवं समाज के परिवर्तन में सक्रिय वाहक रही है। शिक्षा सामाजिक–आर्थिक विकास का एकमात्र साधन नहीं है। शिक्षा के साथ रोजगार, कौशल विकास सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक सुविधाऐं, भेदभाव युक्त सामाजिक पर्यावरण के लिए भी शिक्षा की भूमिका अतुलनीय है। दलित महिलाओं के विकास के लिए ऐसी समावेशी शिक्षा व्यवस्था की ही आवश्यकता है जो क्षमता, समानता एवं न्याय के साथ गरिमापूर्ण जीवन का अवसर सुनिश्चित करें।

इस प्रकार सम्पूर्ण अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दलित महिलाओं की शिक्षा से गरीबी, आर्थिक अभाव तथा सामाजिक भेदभाव में कमी आ सकती है। शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन में भी भागीदारी बन सकती है। दलित महिलाओं की शिक्षा उन्हें अपने अधिकारों, संवैधानिक प्रावधानों के प्रति जागरूक बनाती है। शिक्षा उनके सामाजिक कमजोरी को शक्ति में परिवर्तित कर सकती है। उन्हें समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित कर विकास एवं सामाजिक प्रक्रिया में उनकी

भागीदारी का माध्यम बन सकती है। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव राजनीतिक एवं नागरिक सहभागिता के क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

संदर्भ सूची –

1. शर्मा गोविन्द प्रसाद ; शिक्षा और समाज, नेश्ज्ञनल बुक ट्रस्ट भारत, नई दिल्ली–1922
2. अम्बेडकर, बी0आर0 ; जाति का विनाश, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली–2014
3. आहूजा राम ; सामाजिक समस्याऐं, रावत पबिल्केशन्स, जयपुर–2015
4. श्री निवास, एम0एन, ; आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, ओरियण्ट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली–2009
5. देसाई नीरा एवं ऊषा थक्कर ; वूमेन इन इण्डियन सोसाइटी, नेशनल बुक ट्रस्ट भारत, नई दिल्ली–2001
6. योगेन्द्र सिंह ; भारतीय परम्परा में सामाजिक परिवर्तन, रावत पब्लिकेशन, जयपुर–2014
7. यादव पूरणमल; दलितोत्थान एवं सामाजिक न्याय पोइन्टर पब्लिशर्स जयपुर 2008
8. सोनकर, सी0एल0; भारत में अस्पृश्यता, किताब महल इलाहाबाद–2012